न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या: 124 / 2019

यूको बैंक
प्रधान कार्यालय:– 10 वि.त्रै.म. सारणी, (बेबोर्न रोड) कोलकाता
शाखा कार्यालय:– श्रीनगर रोड, अजमेर (राजस्थान)

.....प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

(1). मैसर्स श्री विनायक स्टोर (प्रोपराइटर श्री महेन्द्र बंसल)
पता:– कड़ुका (लक्ष्मी) चौक नया बाजार, अजमेर
(2). श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल पुत्र श्री जेठमल अग्रवाल
पता:– 203, हरिभाउ उपाध्याय नगर, मैन, अजमेर .....अप्रार्थीगण (ऋणी)

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूराईटेशन रिक्सट्क्शन आफ फाईनेनिशयल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :– अवतार सिंह उप्पल – अभिभाषक प्रार्थी

आदेश **दिनांक 29.08.2019**

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थीगण मैसर्स श्री विनायक स्टोर (प्रोपराइटर श्री महेन्द्र बंसल) निवासी:– कड्डका (लक्ष्मी) चौक नया बाजार, अजमेर को दिनांक 05.08.2013 को रू. 10,00,000/– (अक्षरे दस लाख रूपये) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर 8/264, घोसी मौहल्ला अजमेर राजस्थान स्थित आवासीय सम्पति, जो श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल पुत्र श्री जेठमल अग्रवाल के नाम से है, जिसकी चतु: सीमाऐं, उत्तर में– रामेश्वर लाल जी का मकान, दक्षिण में– श्री भंवर लाल जी अग्रवाल का मकान, पूर्व में– अल्लाददीन घोसी का मकान, पश्चिम में– श्रीमती प्रेम बाई का मकान, को बतौर जमानत प्रार्थी कम्पनी के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी कम्पनी को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 06.02.2016 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी कम्पनी द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 08.03.2016 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रूपये 10,19,987.30/– (अक्षरे रूपये दस लाख उन्नीस हजार नौ सौ सत्तयासी एवं तीस पैसे मात्र) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी कम्पनी को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी कम्पनी द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी कम्पनी को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थनापत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner

राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी कम्पनी को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी कम्पनी को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी कम्पनी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में बंधक सम्पति 8/264, घोसी मौहल्ला अजमेर राजस्थान स्थित आवासीय सम्पति, जो श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल पुत्र श्री जेठमल अग्रवाल के नाम से है, जिसकी चतुः सीमाऐं, उत्तर में– रामेश्वर लाल जी का मकान, दक्षिण में– श्री भंवर लाल जी अग्रवाल का मकान, पूर्व में– अल्लाददीन घोसी का मकान, पश्चिम में– श्रीमती प्रेम बाई का मकान का भौतिक कब्जा प्रार्थी कम्पनी द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी कम्पनी, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 29.08.2019 को सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner